न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

(1) अपील सं0 145/2021
आरसीएमएस नं. 2021/00145

1. समीर पुत्र कृष्णलाल जाति सुनार आयु 40 वर्ष साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. सुनील पुत्र कृष्णलाल जाति सुनार आयु 35 वर्ष साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र रूपराम जाति सुनार आयु 65 वर्ष साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. मंजू पुत्री कृष्णलाल पत्नी हंसराज जाति सुनार आयु 42 वर्ष साकिन मोरजण्डा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

– रेस्पोडैन्ट

(2) अपील सं0 194/2021
आरसीएमएस नं. 2021/00194

1. कृष्णलाल पुत्र रूपराम जाति सुनार आयु 65 वर्ष साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. समीर पुत्र कृष्णलाल जाति सुनार आयु 40 वर्ष साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. सुनील पुत्र कृष्णलाल जाति सुनार आयु 35 वर्ष साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. मंजू पुत्री कृष्णलाल पत्नी हंसराज जाति सुनार आयु 42 वर्ष साकिन मोरजण्डा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्व निर्णय 06.08.2021 द्वारा
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 2/2008 बअनवानी सुमीर आदि बनाम कृष्ण लाल आदि

श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील सं0 145/2021
श्री जसपाल सिह दहिया अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील सं0 194/2021
श्री रामस्वरूप तावणीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 27.7.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण समीर व सुनील ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 229 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया, जिसमें चक 4 एनएसडब्लयू (बी) के खाता संख्या 3 प. नं. 44/339 (19) किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 12.010 बीघा भूमि को प्रतिवादी नं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि होने एवं पैतृक भूमि होने के कारण उसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन करते हुए इस भूमि का खातेदार कातश्कार घोषित करने एवं इस भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने एवं प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब पेश किया कि वादीगण ने स्व0 रूपराम की सभी पुत्रियों को वाद में पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रश्नगत भूमि कि वसीयत प्रतिवादी सं0 1 के पिता द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में करने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताते हुए इस भूमि को स्वअर्जित भूमि होने का कथन किया एवं प्रतिवादी सं0 1 के जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का कोर्ठ हक हिससा नहीं हेाने का कथन करते हुए वाद वादी खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ने अलग अलग दो अपीलें पेश की हैं। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपील संख्या 145/2021 के विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु मिताक्षरा पद्धती से शासित होने के कारण प्रश्नगत भूमि में वादीगण का जनम से हक व हिस्सा निहित है। प्रश्नगत भूमि बाबत सन् 2002 में एक रोबरू मोतबीरान पंचायत में प्रश्नगत भूमि का समझौता वादीगण एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण के मध्य हुआ जिसके अनुसार वादीगण मौका पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायलाय ने केवल मात्र प्रतिवादी सं0 1 की और ध्यान दिया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के द्वारा करवाये अपने हिस्से की भूमि के विक्रय किये गये दस्तावेजों पर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा रेस्पो0 सं0 1 रेस्पां0 सं0 2 का पिता है दोनों ने दुर्भि संधी कर वादी को नुकसान पहुंचाने अपीलाण्ट की भूमि को हड़पने के लिए दावा में प्रतिवादी सं0 2 से कोई कार्यवाही नही करवाई। किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य नहीं ली गई। स्टेट के जवाब पर कोई ध्यान नहीं दिया। वादी के दादा की कृल 76 बीघाभूमि राजस्व रिकार्ड में थी जिसमें से वादी के पिता कृष्णलाल को 19 बीघाभूमि हिस्से में आई, जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के हिस्से में 4 बीघा 15 बिस्वाभूमि आई इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से से अधिक 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 का प्रश्नगत 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

4. अपील संख्या 194/2021 में अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि दावा में वर्णित भूमि अपीलांट कृष्ण कुमार की स्वअर्जित भूमि है जो वादीगण व अन्य किसी की भी पैतृक भूमि नहीं है। यह भूमि अपीलाण्ट कृष्णलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि अपीलाण्ट के पिता ने जरिये वसीयत अपीलाट को दी थी इसलिए यह भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है। अपीलाण्ट कृष्ण लाल के जीवन काल में उसके पुत्र पुत्रियों का इस भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 1 में प्रश्गनत भूमि को पैतृक भूमि होना माना है जो विधि सम्मत नहीं । अपीलाट की भूमि में किसी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन नहीं किया जा सकता है। घरू बंटवारा में अपंजीकृत प्रतिलिपि पेश की है जिसका आधार विचारण न्यायालय ने लिया है। बंटवारानामा के सम्बन्ध में कोई जिरह नहीं हुई ना ही बंटवारानामा को वादीगण ने अपने दावा में प्रदर्श अंकित करवाया है, जिसके अभाव में बंटवारानामा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
5. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. प्रकरण में पिता पुत्रों के मध्य प्रश्नगत भूमि में हक हिस्से को लेकर विवाद है। प्रश्नगत भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 3/28 के प. नं. 44/339 (19) की 3.036 है0 भूमि प्रतिवादी कृष्णलाल वल्द रूपराम के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं0 1, 2 व वादी संख्या 1 व 2 का ब.हि.ब. का हक हिस्सा निहित होना माना है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उपरौक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जद्दी जायदाद होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रूटि नहीं है। अतः उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।
9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2021 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 27.7.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनीया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ